6328
19/11/13

अनुसूची–14 फारम संख्या–562।

न्यायालय भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता सदर दरभंगा

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक– बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के तहत संदर्भित वाद संख्या–09/2013–14

देवनारायण चौपाल एवं 2 अन्य बनाम पुलकित खतवे एवं 4 अन्य

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित

अभिलेख का अवलोकन किया। बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के तहत इस वाद में (1) देवनारायण चौपाल (2) गणेशी चौपाल एवं शत्रुहन चौपाल तीनों पिता स्व0 हजारी खतवे, ग्राम–भण्डारिशो टोले मकरन्दा, थाना–मनीगाछी, जिला–दरभंगा आवेदकगण तथा (1) पुलकित खतवे, पिता–सुन्दर दास (2) बेचन खतवे, पिता–पलट दास, (3) पुलिन्दर खतवे (4) सुरेश खतवे (5) नरेश खतवे तीनों पिता बेचन खतवे सभी ग्राम–भण्डारिशो टोले मकरन्दा, थाना–मनीगाछी विपक्षीगण है। विवाद के अनतर्गत इस वाद में मौजा–भण्डारिशो, थाना नं0–182 में स्थित निम्न ब्योरे की भूमि है जिसमें से आवेदक ने अपना हिस्सा 1/6 अंश तथा खरीदगी का 15 धुर कुल 02 कट्ठा 08.5 धुर होना बतया है तथा कहा है कि उसपर विपक्षीगण ताजबरदस्ती नाजायज कब्जा बनाये हुए है:–

खाता	खेसरा	रकवा
1740 नया	1744 नया	00–05–11
"	2063 नया	00–01–12
"	2064 नया	00–01–17
"	2085 नया	00–01–03
	कुलः–	00–10–02

यह की विदित होता है कि आवेदकों द्वारा प्रस्तुत वाद की प्रविष्टि दिनांक 03.04.2013 को की गई एवं विपक्षीयों को अपना उचित पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निवंधित सूचना दिनांक 25.04.2013 को निर्गत की गई है। आवेदकों ने अपने वाद पत्र के साथ अधिनियम द्वारा निर्धारित न्याय शुल्क मो0 एक सौ रूपया दिनांक 02.04.2013 को फ्रैंकिग मशीन सं0 3356 से जमा कर दाखिल किया है।

अभिलेख पर वापस निवंधित सूचना को देखने से विदित होता है कि विपक्षीयों में पुलकित खतवे, पुलिन्दर खतवे, सुरेश खतवे एवं नरेश खतवे के घर से बाहर रहने के कारण सूचना अभिलेख पर वापस प्राप्त हुआ है। वावजूद इसके दिनांक 05.07.2013 को विपक्षी पुलकित खतवे ने कार्रवाई में उपस्थित होकर विपक्षीयों की ओर से Rejoinder एवं कागजात दाखिल किया है जिस पर उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनते हुए वाद की विधिवत सुनवाई दिनांक 09.07.2013 को पूर्ण की गई है।

आवेदकों का दावा है कि प्रश्नगत भूमि मनीहाली सम्पत्ति है जो आवेदकों के नानी लुलिहा देवी जौजे रूपन खतवे के हिस्से की भूमि है।

1/14/08/13

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित

आवेदकों ने वंशावली का हवाला देते हुए उल्लेख किया है कि उल्लू खतवे को दो पुत्र रूपन खतवे एवं मुनाई खतवे हुए। रूपन खतवे को तीन पत्नियाँ मरनी देवी, लुलिहा देवी वो तेतरी देवी थी, जिनमें से किन्हीं को पुत्र नहीं हुआ । मरनी देवी को मात्र एक पुत्री सुट्टी देवी जौजे मुल्ली खतवे हुई। लुलिहा देवी को भी एक पुत्री मो0 दुखनी देवी जौजे हजारी खतवे हुई और उसी दुखनी देवी के पुत्र आवेदकगण है। वंशावली में आगे हवाला दिया गया है कि मुनाई खतवे को दो पुत्र पलट दास एवं सुन्दर दास हुए। पलट खतवे को एक पुत्र बेचन दास वो बेचन दास को तीन पुत्र पुलिन्दर खतवे, सुरेश खतवे एवं नरेश खतवे विपक्षीगण है।

आवेदको का दावा है कि वंशावली के आधार पर प्रश्नगत भूमि में आवेदकों का अपने नानी लुलिहा देवी जौजे रूपन खतवे के हिस्से में आई, हिस्सा 1/3 होगा तथा कुछ खरीदगी से प्राप्त है जिसपर विपक्षीगण जबरदस्ती कब्जा बनाये हुए है और आवेदकगण लाचार एवं असहाय लोग है जिसका नाजायज लाभ विपक्षीगण ले रहे है।

आवेदकों का यह भी कहना है कि इनलोगों के पिता हाजारी खतवे ने खतियान में आपने सास–ससुर का नाम नहीं पाकर एक अधिकार वाद कभी दायर किया है और विपक्षीगण कहते है कि प्रश्नगत भूमि में तुम्हारा हिस्सा नहीं होगा।

आवेदकों ने प्रश्नगत भूमि पर 1/3 हिस्सा पर कब्जा दिलाने तथा उसपर से विपक्षीयों का नाजायज कब्जा हटाये जाने का अनुरोध अपने वाद पत्र में किया है तथा अपने दावे के समर्थन में निम्न कागजी प्रमाण दाखिल किया है:–

(1) केवाला दास्तावेज मो0 तेतरी जौजे स्व0 रूपन खतवे बनाम बेचन खतवे, पुलकित खतवे दिनांक 04.11.1980 की छायाप्रति।
(2) केवाला दास्तावेज मो0 तेतरी बनाम बेचन खतवे वो पुलकित खतवे दिनांक 09.10.1980 की छायाप्रति।
(3) श्रीमती सुटी देवी पति मुरली चौपाल द्वारा लिखित केवाला दास्तावेज दिनांक 24.09.2013 बनाम हजारी चौपाल की छायाप्रति।

विपक्षीयों की ओर से दाखिल Rejoinder से विदित होता है कि विपक्षीयों ने प्रश्नगत भूमि को Purchasers की हैसियत से दखल कब्जा में होने का दावा किया है परन्तु विपक्षीयों ने किससे एवं कब Purchase किया है स्पष्ट नहीं किया है। विपक्षीयों द्वारा दाखिल कागजातों के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदकों के पिता हजारी खतवे ने इसी न्यायालय में विपक्षी पुलकित खतवे के विरूद्ध भुमि विवाद निराकरण वाद सं0 588/2012–13 दाखिल किया था तथा उनकी मृत्यु हो गई एवं इस वाद के आवेदकों ने उक्त वाद में अपने पिता के स्थान

14/08/13

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी, तारीख–सहित

पर पक्षकार बनाने हेतु अनुरोधावेदन किया था, लेकिन आवेदकगण आवेदन देने के पश्चात् उक्त वाद में अनुपस्थित रहने लगे, और तीन माह की निर्धारित अवधि समाप्त हो जाने के कारण दिनांक 19.03.2013 को उक्त कर्रवाई समाप्त कर दी गई जिसमें कोई प्रभारी आदेश पारित नहीं हो सका। यह भी स्पष्ट है कि उक्त वाद अन्तर्गत वहीं विषय–वस्तु आवेदकों के पिता ने रखा था जो इस वाद अन्तर्गत है।

यह भी स्पष्ट विदित होता है कि इस वाद के विपक्षीयों में पुलकित चौपाल ने इसी न्यायालय में आवेदकों के पिता हजारी खतवे वगैरह के विरूद्ध भूमि विवाद वाद सं0 406/2012–13 दाखिल किया था जिसमें उभय पक्षों को सुनने के पश्चात् दिनांक 17.12.2012 को आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश के अनुसार वाद की वर्णित भूमि पर स्वत्व के निर्धारण का गंभीर विषय अंतर निहित होने तथा प्रश्नगत भूमि के संबंध में हजारी चौपाल की पत्नी दुखनी देवी द्वारा बन्दोबस्त पदाधिकारी, दरभंगा के न्यायालय में अधिकार वाद संख्या 1857/2012 लंवित रहने की स्थिति में वाद की कार्रवाई निष्पादित की गई है तथा पक्षकारों को अपने दावे के लिए सक्षम व्यवहार न्यायालय में वाद दायर करने हेतु निदेशित किया गया है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने से स्पष्ट विदित होता है कि इस वाद में पक्षकारों के स्वत्व के निर्धारण का जटिल प्रश्न निहित है जिसके लिए पक्षकारों को सक्षम व्यवहार न्यायालय में पहल करनी चाहिए और उक्त के लिए इस न्यायालय द्वारा पूर्व में वाद सं0 406/2012–13 द्वारा पारित आदेशानुसार दिनांक 17.12.2012 को निदेशित किया जा चुका है। उक्त स्थिति में आवेदकों द्वारा प्रस्तुत वाद का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

अतः बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 की धारा 4 (5) के तहत प्रदत् शक्तियों के तहत इस वाद की कार्यवाही Close (बंद) की जाती है तथा पक्षकारों को निदेशित किया जाता है कि चाहें तो अपने दावे के उपचार हेतु सक्षम व्यवहार न्यायालय के सक्षम याचना करने हेतु स्वतंत्र है।

इसी मन्तव्य के साथ इस कार्रवाई को निष्पादित किया जाता है अभिलेख संचितकास्त करें।

लेखापित एव शुद्धित

14/08/13

भू0 सु0 उप समाहर्त्ता
सदर, दरभंगा।

14/08/13

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
सदर, दरभंगा।